कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, कोलार

(कालोनी के विकास की अनुमति)

दिनांक 17-01-2023 अनुमति क्रमांक 85

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 / मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 और इसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के अधीन व नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमोदित मानचित्र क्रमांक BPLLP120422210 दिनांक 16 / 08 / 2022 के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुऐः–

श्री / मेसर्स / मेसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. द्वारा श्री ओ.पी. कृपालानी आत्मज स्व. श्री मूलचंद कृपलानी

निवासी :509, पांचवा तल, आशिमा कार्पोरेट जोन आशिमा मॉल, होशंगाबाद रोड, भोपाल

मोहल्ला : वार्ड : नगर : भोपाल तहसील : हुजूर जिला : भोपाल को

ग्राम– कटारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 129 / 4, 129 / 9, 130 / 1, 131 / 1 / 1, 131 / 2, 131 / 3 / 1, 131 / 4 / 2, 132 / 1 / 5, 133, 134, 135, 136, 137 / 1, 137 / 2, 138 / 1, 138 / 2, 139 / 1, 139 / 2, 140 कुल रकबा 5.980 हेक्टे. (59800.00 व.मी.) की बहुइकाई एवं भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 दिनांक 13 जनवरी 2022 के नियम –15 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रदान की जाती है, कि–

(1) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन कराना एवं उसकी की शर्तो का पालन करना होगा।

(2) कॉलोनाईजर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 10 / 09 / 2022 अनुसार बाह्य विकास स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा। म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा–29 के अन्तर्गत कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमोदित मानचित्र क्रमांक BPLLP120422210 दिनांक 16 / 08 / 2022 कुल रकबा 5.980 हेक्टे. (59800.00 व.मी.) की समस्त शर्तो का पालन करना होगा।

(3) मेसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा शपथ पत्र दिनांक 13 / 12 / 2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमें लेख है कि –

1. यह कि उक्त योजना में मास्टर प्लान का 24 मी. का प्रस्तावित मार्ग निकल गया है, जिसका मुआवजा संस्था द्वारा भूमि अधिग्रहण एकट के तहत लिया जावेगा।
2. यह कि संस्था द्वारा उक्त प्लान रोड का एफ.ए.आर. योजना में नहीं लिया जावेगा।

(4) नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में प्रावधानित अनुसार मापदण्ड निम्नानुसार है –

- कुल भूखण्ड –253 भूखण्ड
- कुल इकाईयां –345 इकाईयां
- आवश्यक ई.डब्ल्यू.एस. –58 इकाईयां (25.0 से 35.0 व.मी. तक प्रत्येक इकाई का क्षेत्रफल)
- आवश्यक एल.आई.जी. –39 इकाईयां (36.0 से 46.0 व.मी. तक प्रत्येक इकाई का क्षेत्रफल)

मुख्य नगर निवेषक
नगर निगम, भोपाल

(5) नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्राप्त अनुमोदित मानचित्र अनुसार विकास कार्य करना होगा। स्थल पर किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होने पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से संशोधन कराना आवश्यक होगा जिसकी विधिवत् सूचना इस कार्यालय को कालोनाईजर द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। स्थल की भौतिक स्थिति एवं अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र में विसंगति उत्पन्न होने के पश्चात भी कॉलोनाईजर द्वारा संशोधन आदि विधिक कार्यवाही नहीं किए जाने पर उसकी जिम्मेदारी कॉलोनाईजर की मानी जावेगी।

(6) प्रश्नाधीन भूमि का निरीक्षण संयुक्त समिति के सहायक यंत्री एवं उप यंत्री द्वारा दिनांक 28/09/2022 को किया गया जिसमें पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में नगर पालिक निगम भोपाल की सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित होकर भूमि वर्तमान में रिक्त है।

(7) कालोनी विकास कार्य के विरूद्ध रखे गये बंधक सम्पत्ति (भूखण्ड/प्रकोष्ठ) का विकास सर्वप्रथम नियामनुसार अनुमति प्राप्त कर किया जावेगा।

(8) म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 दिनांक 13 जनवरी 2022 के नियम –17 अनुसार आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयसीमा जारी दिनांक से 05 वर्ष तक निर्धारित की गई है।

(9) म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के नियम 2 उपनियम छ और ज में दिये गये घटको के अनुसार कालोनाईजर को आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 26/05/2010 अनुसार कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) संचालित प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे एवं आदेश दिनांक 26/05/2010 लागू ना होने की स्थिति में कालोनी में सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि किसी प्रकार या रूप में दुषित जल, जल प्रवाह नदी/नाले में सीधे प्रवाहित न किया जावे।

(11) म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप कमांक एफ–5–23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना कमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो ईकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरटी (एसईआईएए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया ज़ावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेन्स लेना भी अनिवार्य होगा।

मुख्य न.नि.
नगर निगम, भोपाल

(12) विकासकर्ता संस्था को यह बाध्यता होगी कि वह अपनी भूमि/कालोनी से सटी कालोनी/भूमि से समन्वय मार्ग, जल, मल निकास का समन्वय करते हुए ही विकास कार्य करें एवं अनउपचारित (Untreated) जल, मल की किसी भी दशा में सार्वजनिक एवं शासकीय अथवा अन्य किसी स्वामित्व की भूमि पर प्रवाहित नहीं करेगा, अन्यथा की स्थिति में म.प्र. नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए कालोनाईजर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(13) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्षा/छत के जल, वर्षा का जल संवर्धन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली यथोचित स्थान पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) कालोनाईजर को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority) से भूजल निकासी के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(15) म.प्र. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 13 जनवरी 2022 अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 12 सहित अन्य समस्त संबंधित शर्तों का पालन कॉलोनाईजर द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) नगर निगम से नियमानुसार विधिवत भवन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। एवं भूखण्डो के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विधिवत् अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र से विपरीत पाये जाने वाले भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा अनुज्ञेय नहीं होगी।

(17) मेसर्स असनानी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि., द्वारा कालोनी का विकास कार्य "AASHIMA ANUPAMA CITY PHASE II" के नाम से किया जावेगा इसमें कोई भी परिवर्तन बगैर पूर्व अनुमति के न किया जावे।

(18) म.प्र. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 13 जनवरी 2022 अनुसार एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 10 सहित अन्य समस्त संबंधित शर्तों का पालन कॉलोनाईजर द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र में दर्शित कमजोर आय वर्ग की कुल 58 आवासीय इकाईयां एवं निम्न आय वर्ग की कुल 39 आवासीय इकाईयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।

(19) आपके द्वारा इस विकास अनुमति के साथ अनुमानित विकास कार्यों की लागत पर 01 प्रतिशत, राशि कर्मकार कल्याण उपकर के रूप में बुक क्र. 039/0912 दिनांक 21/12/2022 द्वारा कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल में जमा की गई है। विकास कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् विकास कार्यों के वास्तविक मूल्य की अंतिम विवरणी सचिव, कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रस्तुत कर 01 प्रतिशत, उपकर राशि के अनुसार शेष राशि का भुगतान करना होगा अथवा अधिक जमा राशि हेतु रिफण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी। भविष्य में अन्य किसी मद में यदि शेष राशि निकलती है, तो उसका भुगतान बिना शर्त के कॉलोनाईजर द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

(20) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.बी.सी. भाग–4 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था हेतु नवीन संशोधन अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल से एन.ओ.सी. प्राप्त करना

मुख्य नगर निवेशक
नगर निवेश, भोपाल

होगी तथा समस्त फिटिंग स्वीकृति प्रावधान अनुसार लगाये जावेगें, तत्पश्चात् ही नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेगें।

(21) आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22/10/2016 में प्रकाशित अनुसार रियल ईस्टेट (रिग्यूलेशन एण्ड डेव्हलपमेन्ट) एक्ट 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल ईस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के प्रावधानो के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

(22) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 के प्रावधानो अंतर्गत आवेदक/भूमि स्वामी को निर्दिष्ट कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा समस्त विभागो से प्राप्त की गई अनुमति/अनापत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(23) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 एवं 101 का पालन आवेदक को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म.प्र. शासन के आदेशानुसार एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में आरक्षित खुले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित खुले क्षेत्रों का मूल्यांकन किए गए आंतरिक विकास कार्य के एवज में बंधक भूखण्ड/प्रकोष्ठ मुक्त किए जाने के समय किया जावेगा।

(24) अभिन्यास मानचित्र में निर्धारित भूखण्डों/प्रकोष्ठों/भवनो के प्रयोजन आवेदक स्वयं के प्रेरणा से परिवर्तित नहीं कर सकता तथा भूखण्डो/प्रकोष्ठों/भवनो का संविलियन अथवा विभाजन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्वयं के प्रेरणा से नहीं कर सकता ऐसा किया गया कृत्य नियम विरूद्ध माना जाकर विकास अनुमति को नियम 25 के तहत निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दिया जायेगा।

(25) प्रस्तावित स्थल के आसपास लगी भूमि की कालोनियों पर निर्मित अनुमोदित मार्गो के भूखण्डों एवं खुले तथा अन्य क्षेत्रों का समायोजन किया जावेगा तथा उक्त अनुमोदित मार्गो को किसी भी प्रकार से अवरूद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा। अतः अनुमोदित मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध/बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा। यदि आवेदक संस्था द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो स्थानीय संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाधित किये गये मार्ग पर मुक्त किये जाने संबंधित वैधानिक कार्यवाही कर सकेगें अन्यथा कृत्य नियम विरूद्ध माना जाकर विकास अनुमति को नियम 25 के तहत निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दिया जायेगा।

(26) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 78 के निर्दिष्ट प्रावधानो के अंतर्गत अभिन्यासित क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में उपदर्शित सीमा का राजस्व विभाग से सीमांकन कराने के पश्चात् आवेदक की स्वयं की भूमि पर अनुमोदित मार्गो आदि को छोड़कर नियम अनुसार सीमा दीवार (बाउण्ड्रीवाल) की अनुमति विकास अनुमति के पश्चात् विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इस कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के बाउण्ड्रीवाल को अवैध निर्माण माना जावेगा।

(27) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 93 के प्रावधानों अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान

मुख्य नगर निवेशक
नगर निगम, भोपाल

सुरक्षित करना होगा जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा स्वयं को करना होगा। इस कार्य का मूल्यांकन बंधक भूखण्ड मुक्त किए जाते समय कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

(28) संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 1754 दिनांक 03/04/2012 के अनुसार म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 (म.प्र.) इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2004 अनुसार आवासीय कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के लिये अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदकों को बिना शर्तो के संबंधित विभाग को सौपेगें तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहां तक सम्भव हो, पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन/ट्रांसफार्मर स्थापित कर सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।

(29) इस अभिन्यास मानचित्र को भू–स्वामित्व दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहंस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू–स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा व इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यपवर्तन व कालोनाईजर नियम 1998 एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 13 जनवरी 2022 के प्रावधान के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।

(30) आपके द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा ट्रेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं आपके वास्तुविद्/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

(31) विकसित की जाने वाली कॉलोनी में किए गए अनुबंध/शपथ पत्र की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(32) आपके द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी विज्ञापन में रेरा का पंजीयन क्रमांक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का अनुमोदित मानचित्र, नजूल अनापत्ति, नगर निगम से जारी विकास अनुमति, एवं भवन निर्माण अनुमति एवं भूमि के व्यपवर्तन, संबंधी जानकारी एवं बंधक प्रकोष्ठो/भूखण्डो का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(33) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा ईकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस कार्य का मूल्यांकन बंधक भूखण्ड मुक्त किये जाते समय कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

(34) आवेदित स्थल पर स्थित एक्स्ट्रा हाईटेंशन/इलेक्ट्रिक लाईन/टॉवर लाईन से म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार दूरी तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा उसके नीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

(35) अभिन्यास में आरक्षित भूखण्डों/प्रकोष्ठों पर भवन अनुज्ञा हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व यदि स्वीकृत अभिन्यास मानचित्र में मापदण्ड उल्लेखित न होने की स्थिति में नगर तथा ग्राम निवेश से भवन निर्माण के मापदण्ड यथा ग्राउण्ड कवरेज, एम.ओ.एस. एवं गतिविधियों का प्रतिशत एवं पार्किंग के मापदण्ड प्राप्त करना होगा।

मुख्य नगर ।न१५५
नगर निवेश, भोपाल

(36) विषयांकित भूमि पर प्रस्तावित योजना के अंतर्गत भूमि का भौगोलिक एवं नैसर्गिक स्थिति को परिवर्तन किया जाना मान्य नहीं होगा यदि आवेदक द्वारा इन स्थितियों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनिज शाखा कलेक्ट्रेट एवं वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों से विधिवत् अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रदाय विकास अनुमति के अनुसार विकास कार्य कर सकेगें अन्यथा नहीं। किसी भी विभाग द्वारा उक्त परियोजना पर प्राप्त किये जाने वाली अनापत्ति/अनुमति पर यह अनुमोदन बंधनकारी नहीं होगा तात्पर्य संबंधित विभाग से अनुमति के पश्चात् ही विकास कार्य किया जा सकेगा तथा प्राप्त की गई समस्त अनुमति इस कार्यालय में छः माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दी गई अनुमति की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत अनुमोदन निलंबित कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जायेगी।

(37) अनुमादित मानचित्र एवं विकास अनुमति के विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी पहुंच मार्ग संबंधी विवाद उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व उसे संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुमति पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तो व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी मानी जावेगी।

सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृष्ठांकन क्र. ..../का.प्रको./2023 भोपाल, दिनांक ....

प्रतिलिपि-

1 संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की ओर अनुमोदित मानचित्र क्रमांक क्रमांक BPLLP120422210 दिनांक 16/08/2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2 सहायक यंत्री, भवन अनुज्ञा शाखा, जोन क्र. 19, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर प्राक्कलन, अनुमोदित अभिन्यास एवं बंधक डीड की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 डी.सी.आर. सेल, भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर अनुमोदित अभिन्यास एवं बंधक डीड की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल